30.1.18 पत्रावली पेश हुई। वकलाय मुद्दईयान उपस्थित
सायल वकील ने जवाबुल जवाब पेश नहि
कर सीधे ही बहस करने का निवेदन
किया। जिस पर वकलाय मुद्दईयान की
बहस सुनी गयी। वकील सायल ने
अपनी बहस मे निवेदन किया कि
अराजी ख.नं. 1606 रकबा 2.96 हे. स्थित
ग्राम शहर जोकि सायलान की खातेदारी
एवं काश्तकारी भूमि है जिसका इन्द्राज
हाल जमाबन्दी दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है
जिसको काश्त कर सायलान अपना व
अपने परिवार का जीवन-यापन करता है
उक्त भूमि पर दीगर किसी व्यक्ति
का लेना देना नहि है। उक्त भूमि
पर गैरसायलान दिनांक 08.06.17 को
एक राय होकर आ गये और कहने
लगे कि उक्त भूमि को हम तुम्हें काश्त
नहि करने देंगे और हम इस पर
जबरन कब्जा कर लेंगे।
अतः गैरसायलान को जरिये अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे
कि वे सायलान के मकबूजा भूमि

दिनांक	फर्द अहकाम

ख. नं. 1606 रकबा 2.96 हे. स्थित ग्राम शहर
2(मे सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने
देवे एवं उपयोग-उपभोग मे किसी
प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे
एवं ना हि किसी अन्य से करावे।
इस पर वकील गैरसायलान ने
अपनी बहस मे अवगत कराया
20.0 कि हाल ख. नं. 1606 रकबा 2.96 हे.
वाकैतन ग्राम शहर सायलान की खातेदारी
मे दर्ज होना स्वीकार है। उक्त अराजीयात
पर सायलान का मकबूजा काश्त नहि है।
बल्कि उक्त अराजी पर जेठ बुदी 5 संवत
2053 से ही गैरसायलान काबिज काश्त
है। तब से ही गैरसायलान बिना रोकटोक
के उक्त अराजीयात पर काश्त करते
चले आ रहे है। उक्त अराजी हाल ख.नं.
12. 1606 रकबा 2.96 हे. को सायलान के पिता
भीमसिंह ने गैरसायलान 1ता 3 के पिता
हिरती को सम्वत 2053 को 30490/-
मे विक्रय कर दी थी। जिसकी लिखापढी
उसी समय गवाहो के समक्ष कर दी गई
थी। उसी समय से गैरसायलान काबिज
0 है। अतः मय खर्ची अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज
फरमाया जावे।
सायलान व गैरसायलान कि बहस सुनी
जाकर एवं प्रा० पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजो
का अवलोकन करने पर एवं उभयपक्षकार
के अभिवचनो पर मनन करने पर
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता
है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा
का संतुलन सायलान के पक्ष मे होना
प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा सायलान विरुद्ध गैरसायलान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक

फर्द अहकाम

स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायलान की अराजी ख.नं. 6/1606 रकबा 2.96 हे. स्थित ग्राम शहर में उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। पत्रावली मिसल शुमार मानी जाकर बाद तामील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहे।

(हस्ताक्षर)

महेन्द्रसिंह आर्य
उपखण्ड अधिकारी
नादौती